



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042026-271659
CG-DL-E-09042026-271659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1701]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/ चैत्र 17, 1948

No. 1701]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/ CHAITRA 17, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

सं. 62/2025-26

विषय: गेहूँ की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1769(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023, के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 10 के तहत गेहूँ की निर्यात नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड और तदनुसूची विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	अतिरिक्त नीतिगत शर्त
10011900: ड्यूरम गेहूँ:-- अन्य 10019910:गेहूँ	प्रतिबंधित	डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 06/2015-2020 दिनांक 13 मई, 2022 में यथा निर्धारित	डीजीएफटी द्वारा जारी की जाने वाली एक अलग सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित तौर-तरीकों के अधीन 25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूँ के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

एचएस कोड 10011900 और 10019910 के तहत गेहूँ की निर्यात नीति "प्रतिबंधित" रहेगी। तथापि, 25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूँ के निर्यात की अनुमति है और इसके लिए विस्तृत तौर-तरीके एक अलग सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 06/2015-2020 दिनांक 13 मई, 2022 में उल्लिखित मौजूदा नीतिगत शर्त लागू रहेगी, जिसमें भारत सरकार की अनुमति के आधार पर अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के निर्यात की भी अनुमति होगी।

[फा.सं. 01/91/180/032/एएम22/पार्ट.1/ईसी/ई-32553]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

No. 62/2025-26

Subject: Amendment in export policy of Wheat - regarding

S.O. 1769(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) as amended, read with Para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby makes the following amendment to the Export Policy of Wheat under Chapter 10 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy:

ITC(HS) Codes and corresponding description	Existing Export Policy	Existing Policy Condition	Additional Policy Condition
10011900: Durum Wheat: - - Other 10019910: Wheat	Prohibited	As laid down in DGFT Notification No. 06/2015-2020 dated May 13, 2022	Export of 25 Lakh Metric Tonnes (LMT) of Wheat shall be permitted subject to the modalities to be notified vide a separate Public Notice to be issued by DGFT.

2. Effect of this Notification:

The export policy of Wheat under the HS Codes 10011900 and 10019910 continues to remain "Prohibited". However, export of 25 Lakh Metric Tonnes (LMT) of Wheat is permitted and the detailed modalities for this purpose shall be notified via separate Public Notice. Furthermore, the existing policy condition mentioned in DGFT Notification No. 06/2015-2020 dated May 13, 2022 continues to apply, wherein export shall also be allowed on the basis of permission granted by the Government of India to other countries to meet their food security needs and based on the request of their governments, over and above the said permitted amount of 25 LMT of Wheat.

[F. No. 01/91/180/032/AM22/Pt.1/EC/E-32553]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.